न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2016 (प्रा.प. राजस्व अपील)

अनवान

1. श्री नाथू पिता कचरा डांगी, निवासी– महुड़ी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री लालजी पिता कचरा डांगी, निवासी– महुड़ी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

–प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम

1. पटवारी हल्का श्यामपुरा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्री पदमलाल पिता रूपजी डांगी, निवासी– महुड़ी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्री वालजी पिता गांगजी डांगी, निवासी– महुड़ी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
5. श्री मावा पिता गांगजी डांगी, निवासी– महुड़ी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध प्र.सं. 1/2016 न्यायालय उप तहसीलदार जयसमन्द आदेश दिनांक 2.6.2016

* निर्णय *

दिनांक– 11-02-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार जयसमन्द मुकदमा संख्या 01/2016 निर्णय दिनांक 02.06.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा महुड़ी, तहसील सराड़ा मे आराजी संख्या 545 रकबा 0.0300हे. एवं आराजी संख्या 546 रकबा 0.0300हे. भूमि स्थित है, जिस पर अपीलान्ट का कब्जा करीब 20 वर्षो से लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा हैं तथा अपीलान्ट ही इसका उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं। इस भूमि पर पुराना झोपड़ा अपीलान्ट ने बना रखा है, जिसे करीब 20 वर्षो का समय हो गया हैं। अपीलान्ट को कथित नोटिस दिया गया था, जो अपीलान्ट को दिनांक 01.06.2016 को प्राप्त हुआ तथा दिनाक 02.06.2016 को अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय दिये जाने बाबत निवेदन किया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तो पहले ही फर्द अहकाम टाईप करके रखे थे, इस कारण उन्होने कह दिया कि हम पेशी दे देंगे तथा आप अभियान समाप्त होने के बाद उप तहसीलदार जयसमन्द के कार्यालय मे आकर पेशी का पता लगा लेना तथा अपीलान्ट को कोई पेशी नही दी तथा फर्द अहकाम पर दस्तखत करवा ले गये तथा बाद मे उन्होने स्याही से छपे छपाये फैसले मे खानापूर्ति कर आदेश पारित कर दिया। इसकी जानकारी अपीलान्ट को

तब हुई जब मौके पर कुछ लोगो को लेकर पटवारी व इन्सपेक्टर आये एवं अपीलान्ट के पुराने बने झोपड़े को नष्ट कर दिया एवं वाउण्ड्रीवाल को भी नष्ट कर दिया। सन् 2000 तक किये गये नाजायज कब्जे तथा 500 वर्गगज भूमि पर बने हुए झोपड़ो यानि काश्तकारों के मकान को नियमन करने को आदेश है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस मामले मे बिना बयान लिये निर्माण को हटाने का आदेश दे दिया तथा इसकी कोई सूचना भी अपीलान्ट को नहीं दी गई। आदेश मे कहीं पर भी आदेश की तारीख अंकित नहीं की गई हैं। कथित आदेश नियमों के विपरित पारित किया गया हैं। अपीलान्ट को न तो जवाब का मौका दिया गया, न शहादत सबूत का मौका दिया गया तथा नोटिस भी पेशी के एक दिन पहले शाम को मिला था। कथित प्रकरण दिनांक 28.05.2006 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं 5 दिन बाद 02.06.2016 को पशी रखी गई। अपीलान्ट को नोटिस 01.0.2016 को प्राप्त हुए थे। सभी को नोटिस पृथक पृथक न दिया जाकर जोईन्ट नोटिस दिया गया था। यहां तक की अपीलान्ट संख्या 2 को कोई नोटिस की तामिल भी नहीं हुई। अधिनस्थ न्यायालय ने नोटिस की तामिल होने बाबत एक शब्द भी लिखे बिना अप्रार्थीगण कौन कौन उपस्थित हुए एवं कौन अनुपस्थित रहे, उनकी नोटिस तामिल हुई अथवा नही। इस पर एक भी शब्द लिखे बिना आदेश पारित किया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित हैं। किसी भी नाजायज कब्जे वाली भूमि पर मकान बना हुआ हो या फसल खड़ी हुई हो तो उसे हटाने के लिये रीजनेबल समय दिया जाना मेन्डेट्री है तथा ऐसे मामलों मे सीधे बेदखली के आदेश पारित नही किये जा सकते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका देखे बिना मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर बिना शहादत के आदेश पारित किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने सारा आदेश कयासी आधार पर बिना सुने एवं बिना जवाब का मौका दिये जल्दबाजी मे पारित कर दिया। आराजी संख्या 545 रकबा 0.0300हे. नक्शा ट्रेस मे भी आबादी का दाखला लगा हुआ है तथा आराजी संख्या 545 आबादी के रूप मे उपयोग मे आ रही है एवं नक्शा ट्रेस मे भी उक्त भूमि आबादी के रूप मे चिन्हित हैं तथा आबादी भूमि के संबंध मे कार्यवाही करने का अधिनस्थ न्यायालय को कोई हक व अधिकार नहीं था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आबादी भूमि के संबंध मे जो कार्यवाही की, वह बिना अधिकार के हैं। अधिनस्थ न्यायालय को बेदखली की कार्यवाही न कर नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 व 5 का उक्त जमीन से कोई सरोकार नही होते हुए भी जबरदस्ती पक्षकार बनाकर जो आदेश पारित किया वह बिना अधिकार के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली वास्ते नियमन तहसीलदार के पास भिजवाई जाने का आदेश प्रदन करावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 पटवारी हल्का श्यामपुरा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम महुड़ी, पटवारी हल्का श्यामपुरा के आराजी संख्या 545 रकबा 0.0300हे., 546 रकबा 0.0300हे. कुल किता 2 रकबा 0.0600हे. किस्म बिलानाम मगरी गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि पर श्री पदमलाल पिता रूपजी डांगी, वालजी पिता गांगजी डांगी, नाथू पिता कचरा डांगी, लालजी पिता कचरा डांगी, मावा पिता गांगा डांगी द्वारा पिछले कुछ समय से

अतिक्रमण कर पत्थर एवं गोबर बाद डाल दी गई। लकड़ी की बलिया जमीन मे गाड़कर मवेशी का छपरा बनाकर सीमेंट के चद्दर डाल दिये गये। ग्राम पंचायत श्यामपुरा के उपसरपंच एवं महुड़ी के ग्रामवासियान द्वारा न्याय आपके द्वार केम्प झाड़ोल, दिनांक 16.05.2016 को तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र मुझ पटवारी हल्का को आदेशित होकर कार्यवाही हेतु लिखा गया। मेरे द्वारा उक्त अतिक्रमण की जांच कर दिनांक 26.05.2016 को रिपोर्ट पेश की गई। उपतहसीलदार जयसमंद द्वारा अतिक्रमियों के खिलाफ बाद सुनवाई अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 08.06.2016 को आदेश दिया गया। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत एवं ग्राम के मौतबिरान के सहयोग एवं उपस्थिति मे दिनांक 14.06.2016 को निर्विवाद स्थिति मे शांतिपूर्वक कब्जा हटाया जाकर मौका पर्चा बनाया गया एवं आदेश की पालना की गई। सभी अतिक्रमी एक ही परिवार के होकर पूर्व मे भी उक्त आराजीयात से सटमा आराजी संख्या 547 पर अतिक्रमण कर मकान बनाये गये, जो श्रीमान तहसीलदार सराड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व/2014/311–312, 317–318 दिनांक 26.02.2014 के तहत दो पत्रावलियों से 350वर्गमीटर का बने हुए मकानो का आवासीय नियमन किया गया एवं अतिक्रमी पूर्व की तरह फिर अतिक्रमण कर मकान बनाकर नियमन की प्रक्रिया को दोहराना चाहते है, जबकि आराजी संख्या 545, 546 पर किसी प्रकार का कच्चा, पक्का, निर्माण नही हैं। अगर निर्माण होता तो पूर्व मे ही नियमन हो जाता। ग्राम महुड़ी की आराजी संख्या 545,546 किस्म बिलानाम मगरी पर अतिक्रमियों का पूर्व मे कभी भी नाजायज कब्जा नही रहा। उक्त आराजी ग्राम के आबादी के समीप होकर कदीम से ही ग्राम के सार्वजनिक उपयोग मे आ रही है, जिस पर अतिक्रमियों ने ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत के विरोध के बावजूद बलात कब्जा कर पत्थर, गोबर खाद डज्ञलकर मौके पर मवेशी का छपरा बना दिया गया, जो दिनांक 14.06.2016 को मौके से हटाया गया। उक्त प्रकरण मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 सभी अतिक्रमी होकर सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से बलात कब्जा कर मिथ्या तथ्यो से यह वाद लाया गया हैं, जो खारिज योग्य हैं। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 3 उपस्थित हुए, जिन्होने जवाब हेतु समय चाहा। विपक्षी संख्या 4 व 5 को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद जवाब प्रस्तुत करने से विपक्षी संख्या 3, 4 व 5 की ओर से जवाब बंद किया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 2 अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार जयसमन्द, तहसील सराड़ा से मूल पत्रावली संख्या 01/2016 मंगवाई जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रांरभ करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए भूमि के नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की एवं अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. RLW 2008(1) RJ

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए स्पष्ट किया कि ग्राम महुड़ी, पटवारी हल्का श्यामपुरा के आराजी संख्या 545 रकबा 0.0300हे., 546 रकबा 0.0300हे. कुल किता रकबा 0.0600हे. किस्म बिलानाम मगरी गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि पर अपीलान्ट एवं

रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 द्वारा अतिक्रमण करने से ग्राम पंचायत श्यामपुरा के उपसरपंच एवं महुड़ी के ग्रामवासियान द्वारा न्याय आपके द्वार केम्प झाड़ोल मे दिनांक 16.05.2016 को तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उनके द्वारा पटवारी हल्का को कार्यवाही हेतु लिखा गया। पटवारी द्वारा अतिक्रमण की जांच कर दिनांक 26.05.2016 को रिपोर्ट पेश करने पर उपतहसीलदार जयसमंद द्वारा अतिक्रमियों के खिलाफ बाद सुनवाई अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 08.06.2016 को आदेश दिया गया, जिस पर ग्राम के मौतबिरान के सहयोग एवं उपस्थिति मे दिनांक 14.06.2016 को निर्विवाद स्थिति मे शांतिपूर्वक कब्जा हटाया जाकर मौका पर्चा बनाया गया एवं आदेश की पालना की गई। सभी अतिक्रमी एक ही परिवार के होकर पूर्व मे भी उक्त आराजीयात से सटमा आराजी संख्या 547 पर अतिक्रमण कर मकान बनाये गये, जो श्रीमान तहसीलदार सराड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व/2014/311–312, 317–318 दिनांक 26.02.2014 के तहत दो पत्रावलियों से 350वर्गमीटर का बने हुए मकानो का आवासीय नियमन किया गया एवं अतिक्रमी पूर्व की तरह फिर अतिक्रमण कर मकान बनाकर नियमन की प्रक्रिया को दोहराना चाहते है, जबकि आराजी संख्या 545, 546 पर किसी प्रकार का कच्चा, पक्का, निर्माण नही हैं। अगर निर्माण होता तो पूर्व मे ही नियमन हो जाता। ग्राम महुड़ी की आराजी संख्या 545,546 किस्म बिलानाम मगरी पर अतिक्रमियों का पूर्व मे कभी भी नाजायज कब्जा नही रहा। उक्त आराजी ग्राम के आबादी के समीप होकर कदीम से ही ग्राम के सार्वजनिक उपयोग मे आ रही है, जिस पर अतिक्रमियों ने ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत के विरोध के बावजूद बलात कब्जा कर पत्थर, गोबर खाद डालकर मौके पर मवेशी का छपरा बना दिया गया, जो दिनांक 14.06.2016 को मौके से हटाया गया। उक्त प्रकरण मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 सभी अतिक्रमी होकर सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से बलात कब्जा कर मिथ्या तथ्यो से यह वाद लाया गया हैं, जो खारिज योग्य हैं।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी की नकल एवं वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ग्राम महुड़ी, पटवारी हल्का श्यामपुरा के आराजी संख्या 545 रकबा 0.0300हे., 546 रकबा 0.0300हे. कुल किता 2 रकबा 0.0600हे. किस्म बिलानाम मगरी गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 द्वारा अतिक्रमण करने से ग्राम पंचायत श्यामपुरा के उपसरपंच एवं महुड़ी के ग्रामवासियान द्वारा न्याय आपके द्वार केम्प झाड़ोल मे दिनांक 16.05.2016 को तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को कार्यवाही हेतु लिखा गया। पटवारी द्वारा अतिक्रमण की जांच कर दिनांक 26. 05.2016 को रिपोर्ट पेश करने पर उपतहसीलदार जयसमंद द्वारा अतिक्रमियों के खिलाफ बाद सुनवाई अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 08.06.2016 को आदेश दिया गया, जिस पर ग्राम के मौतबिरान के सहयोग एवं उपस्थिति मे दिनांक 14.06.2016 को निर्विवाद स्थिति मे शांतिपूर्वक कब्जा हटाया जाकर मौका पर्चा बनाया गया एवं आदेश की पालना की गई। पटवारी हल्का द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत तहसीलदार सराड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व/2014/311–312,

317–318 दिनांक 26.02.2014 का अवलोकन किया गया, जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अतिक्रमियों द्वारा पूर्व मे भी उक्त आराजीयात से सटमा आराजी संख्या 547 पर अतिक्रमण कर मकान बनाये गये, जिनका आवासीय नियमन किया जा चुका हैं एवं अतिक्रमी पूर्व की तरह फिर अतिक्रमण कर मकान बनाकर नियमन की प्रक्रिया को दोहराना चाहते है। अपीलान्ट द्वारा आराजी संख्या 545 एवं 546 पर कब्जा सन् 2000 से पहले का होना बताया गया है, किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नही है, जिससे यह साबित हो सके की अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा हो। पूर्व मे आराजी संख्या 547 पर इनके द्वारा किये गये कब्जे का अवासीय नियमन किया जा चुका है। भूमि की वर्तमान किस्म बिलानाम है एवं बिलानाम भूमि राजकीय भूमि है। प्रकरण मे अतिक्रमियों द्वारा बार बार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास किया जाना एवं पुराना कब्जा बताकर नियमन की प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास करना स्पष्ट जाहिर है। इस प्रकार प्रकरण मे उप तहसीलदार जयसमन्द द्वारा की गई आराजी संख्या 545 रकबा 0.0300हे. एवं आराजी संख्या 546 रकबा 0.0300हे. कुल किता 2 रकबा 0.0600हेक्टेयर से अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाना प्रतीत होती हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जयसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 01/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार सराड़ा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त भूमि पर दुबारा कोई कब्जे का प्रयत्न न करें एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर